

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 07] No. 07] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2018/पौष 12, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2018/PAUSHA 12, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 02 जनवरी, 2018

का.आ. 07(अ).—केंद्रीय सरकार, मानसिक स्वास्थ्य देख—रेख अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 1 की उप—धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 7 जुलाई, 2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत होगा ।

[फा. .सं. वी-15011 / 09 / 2017-पी.एच.-I]

लव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2018

S.O. 07(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 1 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), the Central Government hereby appoints the 7th day of July, 2018, as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. V-15011/09/2017-PH-I]

LAV AGARWAL, Jt. Secy.